

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

प्रभुराम

अमी-प-3 आदि

दावा बाबत :- 88 RA Act

मुकदमा नम्बर :- 109/2021

निर्णय दिनांक :- 02-11-2021

वादी की ओर से वकील शुभेन्द्र वेनीवाल की व प्रतिवादी सं0 10114 की ओर से वकील सरजीत सिपारी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही क्रोडा काका के खाता सं: 12/12 के खसरा सं: 368/2 की 1.669 हे, खसरा सं: 428/3 की 3.681 हे, खसरा सं: 437 की 0.038 हे, खसरा सं: 525/1 की 2.020 हे कुल 7.408 हे नारानी खातेपारी कृषि भूमि जितवादी सं: 1 अमी-प-3 के नाम से राजस्व रिकार्ड के दर्ज है में से प्रतिवादी सं: 1 अमी-प-3 के वाजाप वादी प्रभुराम व प्रतिवादी सं: 1 अमी-प-3 प्रतिवादी सं: 2 मधुदेव के बहिन्या करामर के खातेपार का मतभूत कोषित किया जात है जिनके प्रतिवादी सं: 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी प्रतिवादी सं: 1 व 2 के पक्ष में टूटा कर मु-2 कर लिया है इसलिए त्याग किया गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को ये पंजीयन मुक्त अदा करने व यदि कृषि भूमि वक रहे रहने से तो रख मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में आप्त रूप से किया जावे/राफानामा को रिजि करी जावे पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की द्वा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
(सिविल प्रजाति)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
कैम्प कोर्ट 2021  
भादरा, जिला-हनुमानगढ़